अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान मुद्रा वाद संख्या– 2/1990

बैंक ऑफ इंडिया वनाम मेसर्स उड़िसा मैगनीज।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख
	आदेश यह वाद बैंक ऑफ इंडिया, एक्सप्रैस टावरस, नरिमन पोइंट, बोम्बाई–400021 एवं शाखा कार्यालय– शाखा प्रबंधक, गुवा, थाना एवं पोस्ट– गुवा, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा दिनांक– 11.12.1990 को प्रतिवादी संख्या –1 एम०एस० उड़िसा माइनिंग इक्युपमेन्ट कोप्रोपाइटर, जय किशोर खटोरे, पिता– जुगल किशोर खटोरे, निवासी बड़ा जामदा, थाना+पो०– बड़ा जामदा, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम तथा प्रतिवादी संख्या–2 जय किशोर खटोरे, पिता– जुगल किशोर खटोरे, प्रोपराइट ऑफ एम०एस० उड़िसा माइनिंग एवं इक्युपमेंट, निवासी+पो०– बड़ा जामदा, थाना– गुवा, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम, प्रतिवादी संख्या– 3 केदार दास मोहाता, पिता– स्व० द्वारका दास मोहाता, निवासी चक्रधरपुर, पो०+थाना– चक्रधरपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम, प्रतिवादी संख्या–4 श्री मातादीन सारडा, पिता– स्व० भीमराम सारडा, निवासी+पो०– बड़ा जामदा, थाना– गुवा, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के विरूद्ध यह मुद्रा वाद दायर किया गया है। इस वाद में बैंक की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा सिर्फ हाजरी दी जाती है। लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित किसी भी तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने के कारण देनदार से ऋण की राशि वसूली हेतु अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पाता है। यह वाद दायर होने के बाद प्रतिवादी (देनदार) एक बार भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने के कारण इस न्यायालय के पत्रांक– 86/न्या० दिनांक– 18.11.2021 द्वारा प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 02.12.2021 को वादी के अधिवक्ता की ओर से हाजरी दी गई लेकिन वादी के अधिवक्ता या उनके कोई भी प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के समय अपना पक्ष नहीं रखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थिति एवं अभिलेख में संलग्न साक्ष्य के आधार पर इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 02.12.2021 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। 02.12.2021 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2021.12.09 12:09:26 +05:30
Location: 10.93.66.37

Scanned with CamScanner